भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1713
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी जी राम जी के विरुद्ध सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन

1713. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में , विशेषकर लुधियाना जिले में, एमजीएनआरईजीए श्रमिकों और संघों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में किए गए परिवर्तनों के विरोध में कई सम्मेलनों और विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है;

(ख) क्या यह सच है कि श्रमिक संगठनों ने मौजूदा 90:10 केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात में परिवर्तन, ग्राम पंचायतों की कार्य चयन और योजना में भूमिका कम करने और प्रति परिवार 100 दिनों के काम की विधिक गारंटी नहीं देने के प्रस्तावों का विरोध किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पंजाब में वीबी जी-राम-जी/मनरेगा श्रमिकों को वर्तमान में लगभग 346 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है और उन्होंने प्रति वर्ष औसतन केवल 36 दिनों के काम मिलने की सूचना दी है और वे बढ़ी हुई मजदूरी (लगभग 700 रुपये प्रतिदिन), पूरे 100 दिनों के रोजगार और समय पर भुगतान की मांग कर रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी : वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन के साथ संरेखित करना है। यह ऐसे ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की संवर्धित वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी

प्रदान करता है , जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होते हैं, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें।

वीबी-जी राम-जी के कार्यान्वयन के संबंध में पंजाब में हितधारकों द्वारा विचारों की कुछ अभिव्यक्तियाँ मीडिया के कुछ हिस्सों में दी की गई हैं।

वीबी-जी राम-जी के कार्यान्वयन में पंचायत की भूमिका के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 16 में वीबी-जी राम जी योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायत राज संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है , जो इस प्रकार है: -

(1) जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतें अधिनियम के तहत बनाई गई योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रमुख प्राधिकारी होंगी।

(2) जिला स्तर पर पंचायत , जिला स्तर की समग्र योजना के अंतिम रूप देने और अनुमोदन, कार्यों के पर्यवेक्षण और निगरानी , अभिसरण सुनिश्चित करने सहित जिले में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख और समन्वय करेगी , और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, समग्र ब्लॉक स्तरीय योजना तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी, ग्राम पंचायतों को आयोजना और कार्यान्वयन में सहायता करेगी , ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कार्यों की निगरानी करेगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

(4) ग्राम पंचायत परिवारों का पंजीकरण करेगी , कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को तैयार करेगी , उसे दिये गए कार्यों को निष्पादित करेगी, ऐसे अभिलेखों का रखरखाव करेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और ऐसी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी जो उसे योजना के तहत सौंपी जा सकती हैं।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत योजना के तहत कार्यों की आयोजना , कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए प्राथमिक ग्राम-स्तरीय प्राधिकरण है। यह ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने , और कार्य के लिए आवेदन प्राप्त कर उन पर कार्रवाई करने तथा सभी संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है।

ग्राम पंचायत ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के आधार पर एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करती है, जिससे संतृप्ति-आधारित और अभिसरण-उन्मुख योजना सुनिश्चित होती है।

यह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवंटित कार्यों को निष्पादित करता है और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना से किसी भी स्वीकृत कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत कार्य (लागत के संदर्भ में) ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत को मस्टर रोल और अन्य निर्धारित रिकॉर्ड रखना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कार्य आवश्यक तकनीकी मानकों और माप को पूरा करते हों, डिजिटल और पारदर्शिता आवश्यकताओं का पालन करते हों। इसे कार्यान्वयन में पारदर्शिता , जवाबदेही और शिकायत निस्तारण की सहायता करने के लिए नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा और सार्वजनिक जांच को सक्षम करने के लिए मस्टर रोल , बिल, वाउचर, माप पुस्तकें, स्वीकृति आदेश और जियो-टैग किए गए और डिजिटल रिकॉर्ड सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को ग्राम सभा के समक्ष रखना अपेक्षित है।

कुल मिलाकर, अधिनियम ग्राम पंचायत को योजना ढांचे के तहत मांग पंजीकरण , सहभागी योजना, विकेंद्रीकृत कार्य निष्पादन , कार्यकर्ता जुड़ाव और लोक जवाबदेही के लिए जिम्मेदार प्रमुख जमीनी स्तर की संस्था के रूप में स्थापित करता है। नए अधिनियम को तैयार करते समय महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को भी ध्यान में रखा गया है।

मौजूदा वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव के संबंध में , यह उल्लेखनीय है कि 60:40 केंद्र-राज्य वित्तीय हिस्सेदारी पैटर्न योजना के कार्यान्वयन और उसमें दी गई गारंटी को प्रभावित नहीं करेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश में सभी प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्त पोषण मॉडल पर चलायी जा रही हैं। उदाहरण के लिए:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) ने 75:25 साझाकरण पैटर्न को अपनाया है।

- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) ने 50:50 मॉडल अपनाया है।
- जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) 80:20 आधार पर संचालित की गई थी।

- एसजीआरवाई (संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) , ईएएस (रोजगार आश्वासन योजना) जैसी योजनाओं को भी केंद्र-राज्य हिस्सेदारी पैटर्न आम तौर पर 75:25 के अनुपात में लागू किया गया था, ।

इसके अलावा, सभी क्षेत्रों में लगभग सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इसलिए इस अधिनियम के तहत अपनाया गया 60:40 पैटर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप है। यह मॉडल ग्रामीण विकास में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। विकसित ग्राम पंचायतों से विकसित भारत तक की यात्रा के लिए मजबूत राज्य स्वामित्व और जवाबदेही की आवश्यकता है , और साझा वित्तपोषण ढांचा इस साझेदारी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर) के लिए विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं , जहां 90:10 केंद्र-राज्य साझाकरण पैटर्न लागू होता है , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से विवश राज्यों पर अनुचित दबाव नहीं डाला जाए।

इसके अलावा, अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं , महामारियों या अन्य असाधारण परिस्थितियों की स्थिति में, राज्य सरकारें केंद्र को विशेष परिचालन छूट की सिफारिश कर सकती हैं। इस प्रकार ढांचा कठोर नहीं है , बल्कि उत्तरदायी, अनुकूल और उभरती जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। कुल मिलाकर , वित्त पोषण पैटर्न को राजकोषीय जिम्मेदारी, राज्य की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान के निर्धारण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से बचाने हेतु मुआवजा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है।

पंजाब के मामले में , वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए पंजाब राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर 322 रुपये थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित कर 346 रुपये कर दिया गया है। यह मजदूरी दर में लगभग 6.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

मजदूरी के समय पर भुगतान के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थियों को कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार ने मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है , जो मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करती है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर समय पर मजदूरी के भुगतान में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास करता रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार
- समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित और विलंबित मुआवजे के दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।
- समय पर भुगतान और विलंब मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर बैठकों , प्रदर्शन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षा आदि के दौरान समय पर भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना और समय पर भुगतान में देरी के मुआवजे का भुगतान करना।

इसके अलावा, मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं। कुछ प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं:

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मजदूरी केंद्रीय खाते से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे मध्यस्थों की भूमिका कम हो जाती है और निधि के दुरुपयोग में कमी आती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। लगभग 100% निधि का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है

और मजदूरी का भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।

- **आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस):** एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के आधार के अनुसार लाभ सीधे बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , अधिमानतः आधार आधारित भुगतान , संवितरण प्रक्रिया में कई स्तरों को कम करते हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद करता है, प्रणाली की दक्षता बढ़ाता है और भुगतान में देरी को कम करता है , जिससे लीकेज पर अंकुश लगाकर अधिक समावेश सुनिश्चित होता है और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज करना और उपस्थिति की सटीक और समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करता है, जो समय पर मजदूरी के भुगतान में मदद करता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक वैकल्पिक विकल्प है जब कोई बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हों। इसके अलावा , राज्यों को नियमित रूप से इस विभाग द्वारा संवेदनशील बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य की कोई मांग अधूरी न रहे।